



2026:AHC:30585

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या – 2737 / 2026

ओम प्रकाश

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 7 अन्य

.....प्रतिवादी

याची हेतु अधिवक्ता : कैलाश नाथ सिंह

प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याची ने मुख्य रूप से इस प्रार्थना के साथ वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है कि प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् उप-जिलाधिकारी (न्यायिक), सदर को निर्देशित किया जाए कि वे रिट सी संख्या 29304 / 2024 (रमेश चंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) के लंबित रहने के दौरान उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 134 के अंतर्गत वाद संख्या T202214360400912 (सुभाष बनाम ग्राम सभा) के निस्तारण की दिशा में आगे न बढ़ें।
2. कुछ तर्कों के पश्चात, याची के अधिवक्ता द्वारा वर्तमान याचिका को आगे न बढ़ाने के आधार पर खारिज करने की प्रार्थना की गई है।
3. प्रार्थना स्वीकार की जाती है।
4. तदनुसार, याचिका आगे न बढ़ाने के आधार पर खारिज की जाती है।
5. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देशित किया जाता है कि वे एक सप्ताह के भीतर इस आदेश की प्रति प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् उप-जिलाधिकारी (न्यायिक), सदर को संप्रेषित करें।

(प्रकाश पाडिया न्यायमूर्ति)

11 फरवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"